न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

निर्णय दिनांक 20.10.2020

मुकदमा नम्बर 17/2020

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ ————वादी

बनाम

नानूराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी ठुकरियासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर ———प्रतिवादी

उपस्थिति–
1. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।
2. प्रतिवादी के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।

वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद स्टेट की तरफ से जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ठुकरियासर में स्थित खेत खसरा नम्बर 1515/555 तादादी 1.76 हैक्टयर प्रतिवादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रतिवादी ने बिना सक्षम स्वीकृति व बिना भूमि का रूपान्तरण करवाये अवैध रूप से छोटे–छोटे आवासीय भू–खण्ड बनाने का कार्य किये जाने के कारण कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है । इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्टर 1955 की धारा 177 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादी द्वारा किया गया उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्तो के उल्लंघन करने की तारीफ में आता है । जिसका खातेदार को किसी भी प्रकार से हक हासिल नहीं है और ना ही अधिकार प्राप्त है । खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से नेचर परिवर्तन नही कर सकता है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ठुकरियासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर में स्थित खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1515/555 तादादी 1.76 हैक्टयर में से 1.76 हैक्टयर भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के आदेश फरमावें तथा खातेदार की खातेदारी अधिकार समाप्त कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने हेतु आदेश फरमावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी का सम्मन पिता पर तामिल होकर प्राप्त हुआ परन्तु अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.15 13:01:05 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

रोही ग्राम ठुकरियासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 1515/555 तादादी 1.76 हैक्टयर भूमि जिस पर वादी द्वारा छोटे–छोटे आवासीय भू–खण्ड बनाये जा रहे है। भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर प्रार्थी की उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें । निर्णय की पालना अपील मियाद गुजरने के बाद की जावें। डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.15 13:01:05 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री बमुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः– दिव्या (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 17/2020 निर्णय दिनांकः– 20.10.2020

स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

बनाम

नानूराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से पैरोकार राज व प्रतिवादी की ओर से एकतरफा कार्यवाही मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम रोही ठुकरियासर तहसील श्री डूँगरगढ स्थित खसरा नम्बर 1515/555 तादादी 1.76 हैक्टयर भूमि जिसमें प्रतिवादी द्वारा छोटे–छोटे आवासीय भू–खण्ड बनाये जा रहे है, के खातेदारी अधिकार समाप्त कर प्रतिवादी की उक्त भूमि सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। निर्णय की पालना अपील मियाद गुजरने के बाद की जावें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ...0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 20 माह अक्टूबर सन् 2020 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	व	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.15 13:01:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)